# मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर–दिसम्बर, 1999 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर, 1999 (अग्रहायण 5, 1921)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन सम्बंधी उल्लेख :-
(1) श्री रामचन्द्र बाजपेयी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, एवं
(2) श्री लाखन सिंह सोलंकी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

### 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री –
(क) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99 मध्यम-इकतीस, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999, तथा
(ख) मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम 36 के परन्तुक के साथ पठित मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग का आदेश क्रमांक सी आर-9/92/म/31/953 भोपाल, दिनांक 8 जून, 1999,
पटल पर रखेंगे.

### 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जयंत कुमार मलैया, भूपेन्द्र सिंह, गणेशराम खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम बटियागढ़ में सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चैनसिंह सामले, सदस्य, मालखरौदा क्षेत्र में राहत कार्य न खोले जाने से मजदूरों का पलायन होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) ठाकुर सोबरन सिंह, सदस्य, जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह तथा श्रीमती श्यामा ध्रुवा, सदस्य, दंतेवाड़ा जिले में स्थित आदिवासी कन्या आश्रम में छात्रा के साथ दुष्कृत्य किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री सुनील नायक, पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में केरोसिन उपलब्ध न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री जुगुलकिशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले की नागौद कृषि उपज मंडी में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, महासमुन्द एवं कसडोल के जंगलों में अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के लोतलोता गांव में स्थित विद्युत मंडल के राखड़ बांध द्वारा जल प्रदूषण किये जाने की ओर आवास और पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, जबलपुर जिले में स्थित बरगी बांध में मत्स्य पालन का ठेका विस्थापित मत्स्योद्योग तथा विपणन संघ को देने से उत्पन्न स्थिति की ओर मछलीपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोटा एवं लोरमी क्षेत्र के वन ग्रामों के आदिवासियों को रोजगार न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, सदस्य, इन्दौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के कालामड़ पंचायत के अन्तर्गत अवैध पट्टे दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, सागर उत्तर वन मंडल के अन्तर्गत बहरोल वन क्षेत्र में उत्खनन कार्य में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, रायपुर स्थित देवभोग हीरा खदान से हीरे की चोरी होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, रामपाल सिंह, सदस्य, भोपाल शहर की जल प्रदाय योजना हेतु निगम को ऋण स्वीकृत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(16) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर स्थित उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा कार्यालय में गबन के प्रकरण पाये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री राजेन्द्र भारती (उज्जैन), सदस्य, उज्जैन नगर में स्थापित पावरलूम उद्योग बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्रीमती पुष्पा भारतीय, सदस्य, नीमच जिले के रतनगढ़ थानान्तर्गत अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(19) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, रायपुर केन्द्रीय जेल सहित प्रदेश की विभिन्न जेलों में कैदियों की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्रीमती सुशीला देवी ठाकुर, सदस्य, विदिशा जिले में रोपणी हेतु पौध प्रदाय में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(21) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा सभी उपभोक्ताओं से व्यावसायिक दर से विद्युत शुल्क वसूल किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के आगासौद में तेल शोधक कारखाने का कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम मगरदड़ा में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, सुधाकर राव बापट, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं का राज्य शासन द्वारा कार्यान्वयन न किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा पद का दुरुपयोग कर अनियमितता किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल स्थित जेल भूमि के नामांतरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, बाबूलाल मेवरा, सदस्य, पुलिस अपराध अनुसंधान सतर्कता शाखा द्वारा जांच में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री मुंशीलाल, रामचरित्र तथा श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सीधी जिले की न्यार नदी में नाव पलटने की घटित दुर्घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्त किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सुश्री कुसुम सिंह महदेले, श्री हुकुम चन्द यादव, सदस्य, पवई क्षेत्र के विधायक व उनके साथियों द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, कोरबा जिले के रामपुर क्षेत्र के गांवों में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के सांची क्षेत्र में अप्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा इलाज किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर स्थित राज्य परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारी को वेतन भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री सेवाराम गुप्ता, सदस्य, मुरैना जिले के आदिवासी कन्या आश्रम पहाड़गंज में छात्रा के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) सर्वश्री बृजमोहन धूत, कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले में पटवारी चयन में अनियमितता की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जयंत कुमार मलैया, सभापति, लोक लेखा समिति का 50 वां से 63 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मदनगोपाल सिंह, सभापति, याचिका समिति का अष्टम् से चतुर्दश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## 6. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मुन्ना सिंह भदौरिया, सदस्य, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों से मांसाहारी खाद्य सामग्री से संबंधित विषय हटाये जाने,

(2) श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य, सरगुजा जिले के -
- (क) ग्राम सोहगा के कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम लहपटरा के कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने,

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के -
- (क) खटोला अकलतरा से अकलतरा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने, तथा
- (ख) अकलतरा नगर में 132 के.व्ही. ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(4) श्री बृन्दावन बड़गइयां, सदस्य, सतना जिले के -
(क) मैहर नगर स्थित सिविल अस्पताल का उन्नयन कराये जाने,
(ख) बठिया-लारहटा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ग) मैहर नगर में रेल्वे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाये जाने,

(5) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -
(क) बारना नदी पर पुल बनाये जाने,
(ख) ग्राम नगपुरा में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम प्रतापगढ़ में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

**8. वन मंत्री का वक्तव्य**

श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, दिनांक 5 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-14 (क्रमांक 344) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

**9. वर्ष 1989-90 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-
"दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3,8,9,14,20,22,24,27,29,35,42,44,55,58,63,66 तथा 67 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ ग्यारह करोड़, अड़सठ लाख, इकतीस हजार, बासठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

30 मि.

**10. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 1999 (क्रमांक 41 सन् 1999) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**11. संकल्प**

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
3 घन्टे "इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय".

**12. अशासकीय संकल्प**

(1) श्री महेश तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि. "सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जातियों में 'सिकलिंग' बीमारी का तेजी से फैलाव हो रहा है और हजारों जिन्दगी अकाल मौत की शिकार हो रहीं हैं अतः इसके इलाज एवं अनुसंधान हेतु रायपुर मेडीकल कॉलेज में व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाय."

(2) सर्वश्री लालसिंह राणावत, केदारनाथ शुक्ल, रमाकांत तिवारी, पी.सी. शर्मा, सोनेराम कुशवाह, रंजीत सिंह गुणवान, सदस्यगण, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में समस्त विधवा, परित्यक्ता एवं बेसहारा महिलाओं को आयु सीमा का बंधन समाप्त कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जावे."

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि. "सदन का यह मत है कि किसानों एवं ग्रामीणों को अतिवृष्टि, बाढ़, भू-स्खलन, भूकम्प, अग्निकांड, पशु विनाश, फसल में टिड्डी या महामारी आदि आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु शासन से दी जाने वाली राहत या मुआवजा राशि में वृद्धि की जाय तथा समय-समय पर इसका पुनरीक्षण मूल्य सूचकांक के हिसाब से किया जाय."

(4) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि. "सदन का यह मत है कि सेवा-निवृत्त शासकीय कर्मचारियों को पेंशन के साथ चिकित्सा भत्ता जोड़कर दिया जाय."

(5) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में बन्द लघु उद्योगों को सरकार मदद कर उनका वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही उत्पादन प्रारम्भ करवाये."

**के.पी. तिवारी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 25 नवम्बर, 1999**

---

* अधिकाई अनुदानों की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.